कार्यालय–सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

सूचना

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत् छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत् उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 616 छात्रवृत्ति (308 बालकों तथा 308 बालिकाओं के लिए) संस्तुत की जानी है। इन छात्रवृत्तियों को विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों में क्रमशः 3:2:1 में वितरित किया जाना है। उपरोक्त छात्रवृत्ति हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) से वर्ष–2013 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण निम्न योग्यताधारी विद्यार्थी अर्ह होंगे :–

1. विज्ञान वर्ग (कृषि वर्ग सहित) में न्यूनतम् 61 प्रतिशत अंक (305 अंक विज्ञान वर्ग हेतु तथा 610 अंक कृषि वर्ग हेतु) प्राप्त किये हों।
2. वाणिज्य वर्ग में न्यूनतम् 54 प्रतिशत अंक (270 अंक) प्राप्त किये हों।
3. कला वर्ग में न्यूनतम् 54.2 प्रतिशत अंक (271 अंक) प्राप्त किये हों।
4. संस्थागत् विद्यार्थी के रूप में सत्र 2013–14 में किसी मान्यता प्राप्त कालेज या विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् हों।
5. जिन्हें किसी अन्य स्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही हो।
6. जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय रुपया 6.00 लाख से अधिक न हो और क्रीमीलेयर की परिधि से बाहर हो।

इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत् प्रथम तीन वर्षो में रु0 10000=00 प्रतिवर्ष एवं चौथे तथा पांचवें वर्ष में रु0 20000=00 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त छात्रवृत्ति में आरक्षण की व्यवस्था केन्द्र सरकार के नियमानुसार है।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक सम्भव है। अतः छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति योग्यता सूची (Merit List) के अनुसार की जायेगी। **छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित जानकारी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) की वैबसाईट www.ubse.uk.gov.in में Scholarship सेक्शन पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र परिषद् की वैबसाईट से डाउनलोड करने के पश्चात् पूर्ण रूप से पूरित कर पंजीकृत डाक अथवा वाहक के माध्यम से सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल), पिन–244715 के पते पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 सायं 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।** उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र वर्तमान में अध्ययनरत् महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रसारित होना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थी का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि) की सी0बी0एस0 शाखा में बैंक खाता अवश्य होना चाहिए। किसी अन्य (जैसे पिता, माता, भाई अथवा रिश्तेदार आदि) का बैंक खाता मान्य नहीं होगा। पूरित आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्नक लगाना अनिवार्य है :–

1. Joining Report attested by Head of Institution.
2. Copy of Mark sheet of class 12th exam 2013.
3. Copy of Caste Certificate, if applicable.
4. Income affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs. 10=00 in original/Income certificate issued by SDM/Tahsildar.
5. Income Tax Return/ Form-16 of both parents(of the year ending March-2013) issued by the employer.

आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि, वे पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र तथा संलग्न किये गये दस्तावेजों की छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें।

20/8/2013

(डॉ0 डी0के0 मथेला)
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

D:\PRABANDH ANUBHAG\SCHOLARSHIP\kendariya scholar vigyanti.doc